1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/02/18	वकील पक्षकारान उप. पत्रावली वास्ते वकालतनामा जवाब दि: 27/4/18 पेश हो उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	
27/04/18	अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित है। पत्रावली मय आदेशिका के अनुसार दिनांक 30/4/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	
30/04/18	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप०/अनु०पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्रा.पं. लहन में दिनांक 18/5/18 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी,टोंक	
18/05/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के दौरान ग्राम पंचायत शिविर मे पेश हुई। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी की भूमि ख.न. 826/1 रकबा 6 बिस्वा ग्राम लहन तहसील टोंक से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नही है। अप्रार्थी उक्त भूमि मे मजाहमत करते है। प्रकरण मे उपलब्ध जमाबंदी संवत 2072–75 मे अंकितानुसार विवादित भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड तन्हा खातेदार काश्तकार साबित है। अप्रार्थी का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। नक्शा ट्रेस के अनुसार भी प्रार्थी की भूमि से अप्रार्थी का कोई संबध स्पष्ट नही होता है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि मे लगी डोल को बार बार तोडने से क्षति प्रार्थी को होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः वाद निर्णय तक अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थी किसी भी प्रकार से प्रार्थी की उक्त भूमि मे हस्तक्षेप नही करे , खेत के चारो ओर बनी डोल को नही तोडे नव निर्माण आदि नही करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद मे शामिल हो। (पिंकी मीणा) उपखण्ड अधिकारी टोंक उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	

Scanned by CamScanner